[लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 151-सी

[दि निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 6 का संशोधन ।

1881 का 26

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) "इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिखा गया और डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) तथा, यथास्थिति, असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रानिक चिह्नक की किसी सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित चेक अभिप्रेत है ;';

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--इस धारा में प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उन पदों का है ।"। 2000 का 21

धारा 142 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 142 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और विचारण, केवल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर पाने वाले की वह बैंक शाखा, जहां पाने वाला संदाय के लिए चेक प्रस्तुत करता है, स्थित है ।"।

नई धारा 142क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 142 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण ।

"142क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी ऐसे मामले, जो किसी न्यायालय में लंबित थे, चाहे उसके समक्ष फाइल किए गए हों या उसको अंतरित किए गए हों, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी । 1974 का 2

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सम्यक् अनुक्रम में, यथास्थिति, पाने वाले या धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध परिवाद फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया है, तो उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्वर्ती परिवाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक संदाय के लिए उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे ।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को उसी व्यक्ति द्वारा चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय के नोटिस में उक्त तथ्य लाए जाने पर, ऐसा न्यायालय धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था, मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी ।"।

GMGIPMRND—1121LS(CRC)—13-5-2015.